**अस्थाई परिसमापक की नियुक्ति के लिए प्रार्थना-पत्र**

**(Application for appointment of provisional liquidator)**

न्यायालय ....

सी०ए० नंबर ............ सन् ...

कम्पनीज पेटिशन नंबर ............ सन् ............ में

कम्पनीज एक्ट, 1956 के मामले में और निम्न मामले में

अ० ब०स० ............. पेटिशनर/प्रार्थी

**बनाम**

स०द० फ० ............ उत्तरदाता

(कम्पनीज एक्ट, 1956 सपठित नियम 8 कम्पनीज (कोर्ट) नियमावली, 1959 के अन्तर्गत अस्थाई परिसमापक की नियुक्ति का प्रार्थना पत्र)

प्रार्थी सविनय निम्न प्रकार निवेदन करता है :

1. 1. यह कि प्रार्थी द्वारा संलग्न कम्पनी याचिका, उत्तरदाता की कम्पनी को बन्द कराने के लिए याचिका दायर कर रखी है चूँकि उत्तरदाता कम्पनी अपने ऋणों की अदायगी करने की स्थिति में नहीं है । उपरोक्त याचिका में दिये गये तथ्यों को इस प्रार्थना-पत्र का भी भाग माना जाये।
2. यह कि प्रार्थी को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उत्तरदाता कम्पनी के अनेकों लेनदार हैं और उत्तरदाता कम्पनी अपने देययों के निपटारे की स्थिति में नहीं है।
3. 3. यह कि ............ उत्तरदाता नंबर 2 कम्पनी का निदेशक होने के कारण कम्पनी की पूँजी को स्वयं प्रयोग में ला रहा है या कम्पनी की पूँजी को अपने अथवा अपनी पत्नी के नाम में या किसी सम्बन्धी के नाम में स्थानान्तरित करने का प्रयास कर रहा है। उत्तरदाता नंबर 2 द्वारा ... क्रय की गई है जो कि कम्पनी की पूँजी से क्रय की गई है जिसका प्रयोग एक मात्र उत्तरदाता नंबर 2 और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है ! उत्तरदाता नंबर : द्वारा कम्पनी की पूँजी से एक मकान क्रय किया गया है। उत्तरदाता नंबर 2 कम्पनी की परिसम्पत्तियों का निस्तारण करने का कार्यवाही भी अमल में ला रहा है जिससे लेनदारों के दावे को विफल किया जा सके । उत्तरदाता कम्पनी व्यवसायिक दृष्टिकोण से दीवालिया हो चुकी है चूँकि वह अपने ऋणों का भुगतान लिए जाने में असमर्थ है।
4. यह कि न्याय के हित में और स्वच्छ व्यवहार की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उत्तरदाता कम्पनी को समाप्त कर दिया जाये चूँकि यह अपने ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

**प्रार्थना**

1. इसलिए सविनय प्रार्थना है कि मान्य न्यायालय द्वारा इस न्यायालय से सम्बद्ध एक परिसमापक अधिकारी की नियुक्ति की जाये अथवा अस्थाई परिसमापक अधिकारी की नियुक्ति के लिए आदेश पारित किये जायें ताकि कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और रख-रखाव कम्पनी के समापपित होने के आदेश पारित होने तक किया जा सके।
2. और ऐसे आदेश अथवा आदेशों को भी मान्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाये जिसे वह केस की परिस्थितियों में उचित और पर्याप्त समझे।

**स्थान.......**

**दिनांक.......**

**प्रार्थी.......**

**द्वारा अधिवक्ता.......**

**शपथपत्र**

**(Affidavit)**

न्यायालय.......

कम्पनी पेटिशन नंबर ............ सन्.......

(कम्पनीज एक्ट, 1956 के एक मामले में)

और

निम्न मामले में

अ०ब०स० ............ पेटिशनर/प्रार्थी

बनाम

स०द०फ० ............. उत्तरदाता/रेस्पोंडेन्ट

मैं कि ............ पुत्र श्री ............. निवासी ............ शपथपूर्वक निम्न प्रकार कथन करता हूँ -

1. यह कि मैं ............ का स्वामी होने के कारण उपरोक्त केस में प्रार्थी हं और में केस के तथ्यों से भली भाँति परिचित हूँ।

2. यह कि संलग्न प्रार्थना पत्र जो कि कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 450 और कम्पनाज (कार नियमावली, 1959 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है को पढ़ लिया है और समझा है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उसके अन्दर किया गया कथन मेरी जानकारी में सत्य है ।

**........ (शपथकर्ता)**

**सत्यापन**

सत्यापित-स्थान ............ दिनांक...........दिन.........मैं यह सत्यापित करता हूँ की कि उपरोक्त शपथपत्र के तथ्य पैरा .............से............ तक मेरी जानकारी में सत्य है और कुछ भी नहीं छिपाया नहीं गया है ।

**.......(शपथकर्ता)**